न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

Spl. (SC/ST) Case No.278/2018

अच्युतानंद झा एवं 01 अन्य।
बनाम
राज्य सरकार

उपस्थिति :–
वास्ते आवेदक :– मो0 मंजूर आलम, विद्वान अधिवक्ता।
वास्ते अभियोजन :– श्री कलानंद राम, विद्वान विषेष लोक अभियोजक।

21.09.2022

दो आवेदकगण 1–अच्युतानंद झा, 2–राहूल झा उर्फ राहूल कुमार की ओर से Spl. Case No. 278/2018 U/S-147, 323, 504, 341 I.P.C. & 3(i)(r)(s) of SC/ST Act के संदर्भ में अलग–अलग सेट में आत्मसमर्पण आवेदन एवं जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। उपरोक्त आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आत्मसमर्पण आवेदन एवं जमानत आवेदन को आज प्रचालित किया गया।

संक्षेप में अभियोजन वाद यह है कि, परिवादनी राधा देवी के अनुसार घटना तिथि– 16.07.2018 को समय 10 बजे दिन में प्राथमिकी के नामित अभियुक्तगण परिवादनी को अपने खेत में धान लगाने से मना किया। परिवादनी के पति के एतराज करने पर उसके साथ मारपीट किया। परिवादनी अपने पति को बचाने गयी तो सभी अभियुक्तगण परिवादनी को मारपीट कर बेनग्न कर दिया तथा जाति सूचक शब्द से गाली दिया। अभियुक्त अच्युतानंद झा परिवादनी का गहना छीन लिया तथा अभियुक्त बच्चा झा उसके अचरा से दो हजार रूपया निकाल लिया।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण निर्दोष व्यक्ति है और कोई अपराध कारित नहीं किये हैं। आवेदकगण आज न्यायालय में आत्मसमर्पण किये हैं।

विद्वान विशेष अपर लोक अभियोजक जमानत का विरोध करते हैं तथा कथन करते हैं कि परिवादनी को न्यायालय में उपस्थिति हेतु नोटिस किये थे।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदकगण के जमानत आवेदन के अनुसार आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कांड दैनिकी में साक्षियों ने घटना का समर्थन नहीं किया है तथा आवेदकगण के उपर कोई विनिर्दिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदकगण का जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है। आवेदकगण को मो0 दस हजार रूपये के दो समान प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है कि–

1. आवेदकगण प्रत्येक तिथि को न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे।

Sd/-
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया